

396

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

R 185-I 17

निगरानी क्रमांक 185/P/2017

विजय सिंह तनय हरदेव सिंह ठाकुर
निवासी-लुहरगुवा तहसील पृथ्वीपुर जिला
टीकमगढ़ म.प्र. आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन अनावेदक

श्री अतीश 1145 प.ए.17
द्वारा आज दि. 13-11-17 को
प्रस्तुत

13-11-17
ब्लॉक ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

71
12-11-17
श्री अतीश
13-11-17

निगरानी मध्य प्रदेश भू - राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन अधिनस्थ
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी निवाडी जिला टीकमगढ़ के अपील प्र0क
145/ 2014-15 में पारित 28.10.16 के विरुद्ध ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेदन निम्न प्रकार है :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

1.यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक का जन्म भूमि ग्राम
लुहरगुवा की भूमि सर्वे क्रमांक 37,43,704, 107,778 पर काफी लम्बे समय वर्ष 1975 से
आज दिनांक तक उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन
पोषण कर रहे हैं उक्त भूमि पर फलदार (ख. पेड़ व नलकूप लगा हुआ है। पटवारी
हल्का लुहरगुवा द्वारा आवेदक के विरुद्ध एक प्रतिवेदन अधिनस्थ न्यायालय
तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया जिस पर से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा
म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 24म के तहत प्रकरण क 05/अ-68/14-15
दर्ज करते हुये नोटिस जारी किया गया एवं नोटिस में तिथी 24.3.15 नियत की गई
आवेदक नियत तिथी पर नियत समय के भीतर उपस्थिति हुये परन्तु फिर भी अधिनस्थ
न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का मौका व दरतावेज प्रस्तुत करने का अवसर
दिये वगैर एक पक्षिय रूप से आलोच्य आदेश दिनांक 24.3.15 पारित किया गया जिस
विवादित आलोच्य आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाडी के



3

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-185-एक/2017

जिला टीकमगढ़

विजयसिंह विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी निवाडी, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 145/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 28-10-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p style="text-align: right;">(आर.के. जिन) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">18/03/19</p>